तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.10/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
10.3.2023	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी मुकेश कुमार पुत्र श्री सानवाल चन्द, निवासी– बडगांव, अचपुरा, तहसील– रानीवाडा, जिला– जालोर, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म मुकेश मार्केटिंग, सेन्ट्रल कॉर्पोरेशन बैंक के सामने, रामसीन रोड, कालन्द्री, जिला– सिरोही जिला– सिरोही अनुपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 14.1.2022 को फर्म मुकेश मार्केटिंग, सेन्ट्रल कॉर्पोरेशन बैंक के सामने, रामसीन रोड, कालन्द्री, तहसील व जिला– सिरोही में प्रतिवादी मुकेश कुमार से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ काउ घी (वास्तु ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1585 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./225/Act/2022/300 दिनांक 15.2.2022 में अमानक (Sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 24.2.2023 को प्रतिवादी मुकेश कुमार ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादी को सुना गया। प्रतिवादी ने अनुरोध किया कि वह छोटा व्यापारी है। उसने गाय का घी (वास्तु ब्राण्ड) को अन्य फर्म से खरीद किया था एवं जिस स्थिति में खरीद किया हुआ उसी स्थिति में विक्रय किया है, उसने घी में कोई मिलावट नही की है। खाद्य पदार्थ गाय का घी (वास्तु ब्राण्ड) का बिल कही गुम हो गया है। भविष्य में अमानक खाद्य सामग्री विक्रय नही करुंगा। यह मेरा प्रथम अपराध है। अतः कम से कम जुर्माना करावे। हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि [illegible] खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा [illegible] दिनांक 14.1.2022 को [illegible] लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:17:27 IST
Reason: SelfAttested

वरि. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.10/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म मुकेश मार्केटिंग, सेन्ट्रल कॉर्पोरेशन बैंक के सामने, रामनसीन रोड, कालन्द्री, तहसील व जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से प्रतिवादी मुकेश कुमार पुत्र श्री सानवाल चन्द, निवासी– बडगांव, अचपुरा, तहसील– रानीवाडा, जिला– जालोर उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ काउ घी (वास्तु ब्राण्ड) बेचता है। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा दुकान के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ काउ घी (वास्तु ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना मौके पर उपस्थित गवाह श्री जसपाल सिंह पुत्र श्री सज्जन सिंह, ग्राम विरोली, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही, हाल– वाहन चालक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष प्रपत्र 5ए में विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता मुकेश कुमार को भरकर दी व रसीद प्राप्त की। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने दुकान के अन्दर आलमारी की रैक में बिक्री हेतु मौजूद काउ घी (वास्तु ब्राण्ड) के 200 एम.एल. के पैक्ड टीन में से खाद्य पदार्थ काउ घी (वास्तु ब्राण्ड) के 200 एम.एल. के 4 पैक्ड टीन वास्ते नमूना जांच खरीदे एवं उसकी कीमत राशि रुपये 320/– (अक्षरे रुपये तीन सौ बीस मात्र) विक्रेता मुकेश कुमार को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1585, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ काउ घी (वास्तु ब्राण्ड) आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा स्वयं ने हस्ताक्षर किये। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने खरीद शुदा काउ घी (वास्तु ब्राण्ड) के 200 एम.एल. के पैकड चारों टीनों पर एक–एक लेबल लगाया एवं चारों नमूना टीनों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1585 को नियमानुसार गोंद से चिपकाकर प्रत्येक [illegible] भाग को नियमानुसार सील चपडी किया व प्रत्येक नमूना भाग प[illegible] गवाह के हस्ताक्षर कराये व [illegible] श्री विनोद कुमार शर्मा [illegible]

....लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:17:27 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.10/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

नमूना भागों को तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता, गवाह व तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने दिनांक 17.1.2022 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री प्रवीण कुमार, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 14.1.2022 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा फर्म मुकेश मार्केटिंग, सेन्ट्रल कार्पोरेशन बैंक के सामने, रामसीन रोड, कालन्द्री, तहसील व जिला– सिरोही में खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता मुकेश कुमार से खाद्य पदार्थ काउ घी (वास्तु ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की विधिवत कार्यवाही करते हुए जांच हेतु नमूनें का एक भाग मय फार्म नम्बर 6 के सीलबन्द लिफाफे के खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाया गया है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ घी (वास्तु ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1585 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांकः L.S./225/Act/2022/300 दिनांक 15.[illegible].2022 के अनुसार खाद्य पदार्थ घी (वास्तु ब्राण्ड) का नमूना संख्या [illegible]5 अमानक (Sub-standard) पाया गया है। [illegible] यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी [illegible] के दौरान खाद्य सुरक्षा [illegible] घी (वास्तु ब्राण्ड) के क्रय का बिल प्रस्तुत नही किया [illegible] न ही इस न्यायालय में ऐसा कोई बिल प्रस्तुत किया है।इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि

.......लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:17:27 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय प्रति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

प्रात. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.10/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	प्रतिवादी मुकेश कुमार पुत्र श्री सानवाल चन्द, निवासी– बडगांव, अचपुरा, तहसील– रानीवाडा, जिला– जालोर, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म मुकेश मार्केटिंग, सेन्ट्रल कॉर्पोरेशन बैंक के सामने, रामसीन रोड, कालन्द्री, तहसील व जिला– सिरोही ने अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ घी (वास्तु ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ घी (वास्तु ब्राण्ड) का विक्रय करने के कारण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत प्रतिवादी मुकेश कुमार पुत्र श्री सानवाल चन्द, निवासी– बडगांव, अचपुरा, तहसील– रानीवाडा, जिला– जालोर, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म मुकेश मार्केटिंग, सेन्ट्रल कॉर्पोरेशन बैंक के सामने, रामसीन रोड, कालन्द्री, तहसील व जिला– सिरोही पर राशि रुपये 10,000/– (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, प्रतिवादी मुकेश कुमार पुत्र श्री सानवाल चन्द, निवासी– बडगांव, अचपुरा, तहसील– रानीवाडा, जिला– जालोर, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म मुकेश मार्केटिंग, सेन्ट्रल कॉर्पोरेशन बैंक के सामने, रामसीन रोड, कालन्द्री, तहसील व जिला– सिरोही को आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 7 दिवस में जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 06.4.2023 को पेश हो। (के.आर.खौड) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सिरोही	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:17:27 IST
Reason: SelfAttested